अतः डी बियर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा अनुसूची-एक में दर्शित देशांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अनुसूची दो में दर्शित ब्लाक्स के अक्षांश-देशांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर त्याग किये गये 385 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 59 (1) (ii) के अंतर्गत खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही.के. मिश्रा, उप-सचिव

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2011

क्र. 620/तक./परि./2011 – मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 65, 96 तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, –

नियम के 70 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 70-क जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''70-क प्रक्रम वाहनों के परमिट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत –

1. यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मार्गों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :–
   (क) लघु मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी 65 कि.मी. से अधिक नहीं है,
   (ख) मध्यम मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी 65 मि.मी. से अधिक किन्तु 165 कि.मी. से अधिक नहीं है,
   (ग) दीर्घ मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी 165 कि.मी. से अधिक है.

2. प्रक्रम वाहन के परमिट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण निम्नलिखित उपबन्धों के अध्यधीन होगा :–
   (एक) कोई प्रक्रम वाहन परमिट, दीर्घ मार्ग पर स्वीकृति अथवा नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, यदि–
      (क) वाहन प्रारम्भिक पंजीयन दिनांक से 08 वर्ष से अधिक पुरानी हो,
      (ख) ऐसे वाहन की बैठक क्षमता :–
         (एक) चालक एवं परिचालक को छोड़कर डीलक्स बस के मामले में 35 सीट से कम हो,
         परन्तु डीलक्स शयन कोच अथवा डीलक्स अर्ध-शयन कोच के संबंध में उक्त सीट संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
         (दो) चालक एवं परिचालक को छोड़कर साधारण बस के मामले में 40 सीट से कम हो, जो इन नियमों के नियम 158 के उप नियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन होगा,
         परन्तु उक्त प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्ययधीन होगा.

(2) मध्यम मार्ग पर प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृति या नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे, यदि –

(क) वाहन प्रारम्भिक पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी है,

(ख) चालक एवं परिचालक को छोड़कर वाहन की बैठक क्षमता 35 अथवा 35 से कम हो, जो इन नियमों के नियम 158 के उप-नियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन होगा,

परन्तु डीलक्स शयन कोच अथवा डीलक्स अर्ध शयन कोच के संबंध में भी उक्त सीट संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

परन्तु यह और भी कि उक्त प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा.

(3) लघु मार्गों पर प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे. यदि वाहन अपने प्रारंभिक पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष से अधिक पुरानी हो,

परन्तु उक्त प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा.

(4) इन नियमों के अधीन स्वीकृत प्रक्रम वाहन परमिट उस तिथि से अविधिमान्य हो गई मानी जाएगी, जब परमिट से आच्छादित प्रक्रम वाहन दीर्घ मार्ग के मामले में 08 वर्ष पूर्ण कर लेती हो, मध्यम मार्ग के मामले में 10 वर्ष, और लघु मार्ग के मामले में 12 वर्ष पूर्ण कर लेती हो, जब तक कि परमिटधारी द्वारा वैधता समाप्ति दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर ऐसी प्रक्रम वाहन को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता और जहां परमिट धारी पन्द्रह दिवस के भीतर वाहन प्रतिस्थापित करने में असफल होता है,तो वह परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में ऐसे परमिट को निरस्ती करने के लिए समर्पित करेगा.

3. इस नियम के उप-नियम (1) एवं (2) के प्रावधान इन नियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 24 माह की कालावधि के पश्चात् इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व स्वीकृति प्रक्रम वाहन परमिट पर लागू होंगे.

4. **राज्य सरकार की छूट देने की शक्ति** – राज्य सरकार किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष वाहनों के प्रकार के संबंध में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने आदेश द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए ऊपर दी गई शर्तों में से किसी एक या किसी से भी छूट प्रदान कर सकेगी.

No. 620/तक./परि./2011 – In exercise of the powers conferred by Section 65, 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules —

After Rule 70, the following Rule 70-A shall be added, namely :—

70-A. Guiding principles for grant and renewal of Stage Carriage Permits—

(1) To ensure safety and convenience of travelling passengers, routes shall be classified as follows :—

(a) Short route which covers a distane of not more than 65 Kms., one way.

(b) Medium route which covers a distance of over 65 Kms., but not exceeding 165 Kms., one way, and

(c) Long route which covers a distance of more than 165 Kms., one way.

(2) The grant and renewal of Stage Carriage Permit shall be subject to the following provisions :—

(i) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on long routes if—

(a) The vehicle is more than 08 years old from the date of initial registration,

(b) The seating capacity of such vehicle is :—

(One) Less than 35 seats in case of deluxe bus excluding driver and conductor.

Provided that in respect of deluxe sleeper coach or deluxe semi sleeper coach the above restriction of seats shall not be applicable.

(Two) Less than 40 seats in case of ordinary bus excluding driver and conductor, subject to the provision of sub rule (3) of Rule 158 of this rules :

Provided that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.

(ii) No Stage Cariage Permit shall be granted or renewed on medium routes if—

(a) The vehicle is more than 10 years old from the date of intial registration.

(b) The seating capacity of vehicle is 35 or less than 35 excluding the driver and conductor, subject to the provision of sub-rule (3) of Rule 158 of Provided that in espect of deluxe sleeper coach or deluxe semi-sleeper coach the above restriciton of seats shall not be applicable :

Provided further that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seatig capicity.

(iii) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on short route if the vehicle is more than 12 years old from the date if initial registration:

Provided that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.

(iv) A Stage Carriage Permit granted under this rules shall be deemed to be invalid from the date on which stage carriage covered by the permit completes 08 year in case of long route, 10 years in case of medium route and 12 years in case of short route, unless such stage carriage is replaced within Fifteen days from the date of expiry by the permit holder. Where the permit holder fails to replace the vehicle within Fifteen days he shall surrender the permit for cancellation in the office of permit granting Authority.

(3) The Provision of sub-rule (1) and (2) of this Rule shall apply to a Stage Carriage Permit granted prior to the coming into force of this rule after a period of Twenty Four months from the date of the publication of this Rule in the Official Gazette.

(4) **Powers of State Government to grant relaxation** — The State Government may grant relaxation partially or completely by order in respect of particular area or particular type of vehicles from one or any of the above conditions giving reasons in writing.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. मरावी, सचिव